भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 358
दिनांक 16.09.2020/25 भाद्रपद्,1942 (शक) को उत्तर के लिए

लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस की अत्यधिक सख्ती

358 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस की अत्यधिक सख्ती के कारण लोगों को परेशानी होने/ चोट लगने/मृत्यु होने जैसी कोई घटनाएं हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) लॉकडाउन के नाम पर लोगों को परेशान करने या मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार के पास लॉकडाउन के नियमों को लागू करने के नाम पर पुलिस अधिकारी लोगों को परेशान न करें इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। इसलिए, कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन को लागू करने की वजह से लोगों को परेशानी होने/चोट लगने/मृत्यु होने से संबंधित शिकायतों और इस संबंध में दर्ज मामलों/प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****